फर्द अहकाम

श्रीमती मोना देवी बनाम राजस्थान सरकार वगै.

न्यायालय

म संख्या 45/2022 प्रा. पत्र पत्थरगढ़ी

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/6/22	अधिवक्ता/ संदीप पारीक के प्रार्थना-पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को पेश हुआ। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है इन्द्राज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को तलबी को जारी कर पत्रावली दिनांक 9/6/22 को पेश हो। sd	
	09/06/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उप. अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। तथा शामिल [illegible] sd	

अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 45/2022

उनवान

1. श्रीमती गंगा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

--प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार उपतहसील खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम,

निर्णय दिनांक–09.06.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीया ग्राम निन्दौला, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू अभिलेख निरीक्षक खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर की निवासी तथा खातेदार हैं। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि हाल खाता संख्या 45 पुराना खाता संख्या 48 जिसके हाल खसरा नम्बर 6936, 6938, 6940, 6941, 6943 से 6951 कुल किता 13 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि स्थित हैं, जिसकी प्रार्थीया एकमात्र खातेदार है तथा उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग कर रही है तथा काबिज काश्त हैं।

प्रार्थीया की खातेदारी खसरा नम्बर 6938 के उत्तर में खसरा नम्बर 6937 सीमा जोड़ स्थित हैं तथा खसरा नम्बर 6938 के पूर्व में खसरा नम्बर 6939 सीमाजोड़ स्थित हैं तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 6941 के दक्षिणी पश्चिमी और खसरा नम्बर 6939 स्थित हैं, जिसके तारबाउण्ड्री हो रखी हैं। प्रार्थीया अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है तथा शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग कर रही हैं।

प्रार्थीया की भूमि के सींवजोड़ खातेदार हैं आये दिन प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि की सींवजोड़ के छेड़छाड कर मजामहत करते रहते है तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते है तथा मना करने पर लडाई झगडा करने को आमादा रहते हैं।

प्रार्थीया की भूमि के सींवजोड़ खातेदारो की अवैध हरकतो के कारण प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के यहां सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 30.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के आदेश क्रमांक एल.आर./2022/435 दिनांक 24.5.2022 की पालना में ग्राम निन्दौला में स्थित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 6938, 6941 के मौके पर पहुँचकर सीमाज्ञान करवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में कराया जाकर सीमाचिन्ह अंकित किये गये।

उक्त सीमाज्ञान के कराए जाने से सींवजोड़ खातेदार नाराज हो गये तथा खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि दिनांक 30.5.2022 को कराए गए सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीया को पत्थरगढ़ी नही करवाने देगें यदि प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी करवायी गयी तो मौके पर खून खराबा हो जावेगा तथा दिनांक 30.5.2022 को कराए गये सीमाज्ञान में कराए गये सीमाचिन्हो को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निन्दौला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 6938 की उत्तरी व पूर्वी सीमा एवं खसरा नम्बर 6941 की पश्चिमी सीमा की पत्थरगढ़ी व तारबन्दी जरिये पुलिस इमदाद करने के व अप्रार्थी संख्या 1 को सीमाज्ञान दिनांक 30.5.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकि है। अधिवक्ता प्रार्थीया की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के

आदेश से दिनांक 30.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन/विवाद नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2022 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **09.06.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:06 IST
Reason: SelfAttested